अति–महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2024**

विषय : **मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गयी डिग्रियों की ए0आई0सी0टी0ई0–यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या–।/478493/2024, दिनांक 24.01.2024 **(छायाप्रति मयसंलग्नक)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों में तैनात डिग्रीधारी अवर अभियन्तागण (सिविल) की सूची एवं इन अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी अभियन्त्रण स्नातक/ए0एम0आई0ई0 की डिग्रियों का विवरण/छायाप्रतियां संलग्नकर प्रेषित करते हुए संलग्न सूची में अवस्थित अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी अभियंत्रण स्नातक या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की एसोसिएट मेम्बर की डिग्री के वैध (valid) होने/न होने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि प्रकरण में शासन के पत्र संख्या–।/499526/2024, दिनांक 20.02.2024 एवं पत्र संख्या–।/533399/2024, दिनांक 03.04.2024 **(छायाप्रतियॉ संलग्न)** द्वारा निर्देश दिये गये थे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के किसी अधिशासी अभियन्ता को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर पत्र के साथ संलग्न डिग्रीधारी अवर अभियन्तागण (सिविल) की सूची में अवस्थित समस्त डिग्रीधारी अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी अभियन्त्रण स्नातक/ए0एम0आई0ई0 की डिग्रियों के वैध (valid) होने/न होने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर शासन को प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया जाय, किन्तु इस सम्बन्ध में कृतकार्यवाही की सूचना अब तक अप्राप्त है, जो खेदजनक है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनांक 20.02.2024 एवं पत्र दिनांक 03.04.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में किसी अधिशासी अभियन्ता को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर पत्र के साथ संलग्न डिग्रीधारी अवर अभियन्तागण (सिविल) की सूची में अवस्थित समस्त डिग्रीधारी अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी अभियन्त्रण स्नातक/ए0एम0आई0ई0 की डिग्रियों के वैध (valid) होने/न होने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर शासन को प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृति है, अतएव समयबद्धता विशेषरूप से अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

Digitally Signed by उदय भानु त्रिपाठी
Date: 06-05-2024 16:52:36
Reason: Approved

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

I/555382/2024

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नेल्सन मंडेला मार्ग, बसन्तकुन्ज, नई दिल्ली को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–।/478493/2024, दिनांक 24.01.2024 एवं पत्र संख्या–।/533399/2024, दिनांक 03.04.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
नेल्सन मण्डेला मार्ग, वसंत कुंज,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2024

विषय : **मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में 04 डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गयी डिग्रियों को ए0आई0सी0टी0ई0–यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या–13–60/P&AP/SC-Legal/Dist.Edu/2019/978 दिनांक 26.04.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उ0प्र0 सरकार को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–17869–17870/2017 उड़ीसा लिफ्ट इरीगेशन कारपोरेशन लिमिटेड बनाम रवि शंकर पात्रों व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2001–2005 में 04 डीम्ड विश्वविद्यालयों (जे0आर0एन0 राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर राजस्थान, आई0ए0एस0ई0, सरदार शहर राजस्थान, ए0ए0आई0, इलाहाबाद व वी0एम0आर0आई0, सलेम, तमिलनाडु) में ओपन एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति से पंजीकृत अभ्यर्थियों की डिग्री को निरस्त करने तथा जब तक वे ए0आई0सी0टी0ई0–यू0जी0सी0 के संयुक्त पर्यवेक्षण के तहत आयोजित मान्यता परीक्षा पास नहीं करते हैं तब तक उनकी डिग्री निलम्बित रहने सम्बन्धी आदेश से अवगत कराते हुए तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी हैं।

2– उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के उपरोक्त पत्र दिनांक 26.04.2019 के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–ई–43554(1)/16–1099/24/2019 दिनांक 21.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उ0प्र0 सरकार के समस्त विभागों से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के उपरोक्त पत्र दिनांक 26.04.2019 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार यथावश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण संवर्ग (Engineering Cadre) के कर्मचारी उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथासंशोधित) से शासित है। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.03.1994 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 में संशोधन किया गया। तद्नुसार उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 1997 के स्तम्भ–2(नियम–8) में अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है:–

(क) पैंतालीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अवर अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इसी रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों।

(ख) पाँच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अवर अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होंने अभियन्त्रण स्नातक या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की एसोसिएट मेम्बर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

परन्तु ऐसे अवर अभियन्ता अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो, तो शेष रिक्तियां श्रेणी (क) से भरी जायें।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली के उक्त प्राविधानों के आलोक में 05 प्रतिशत डिग्री कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पात्र डिग्रीधारी अवर अभियन्तागण (सिविल) की पदोन्नति की कार्यवाही उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से की जानी है। उपरोक्तानुसार प्रोन्नति की कार्यवाही के सम्बन्ध में डिग्रीधारी अवर अभियन्तागण (सिविल) की सूची तैयार की गयी है।

4— उक्त के दृष्टिगत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों में तैनात डिग्रीधारी अवर अभियन्तागण (सिविल) की उक्त सूची एवं इन अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी अभियन्त्रण स्नातक/ए0एम0आई0ई0 की डिग्रियों का विवरण/छायाप्रतियां संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न सूची में अवस्थित अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी अभियंत्रण स्नातक या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की एसोसिएट मेम्बर की डिग्री के वैध (valid) होने/न होने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की ई–मेल आई0डी0–awasanubhag5@gmail.com एवं पत्र के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

Digitally Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 23-01-2024 1[illegible]
Reason: Approved

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) उपाध्यक्ष, गाजियाबाद/लखनऊ/मुजफ्फरनगर/आजमगढ़/बरेली/मेरठ/मथुरा–वृन्दावन/अलीगढ़/मुरादाबाद/गोरखपुर/प्रयागराज/कानपुर/हापुड़–पिलखुवां/अयोध्या/रायबरेली/बरेली /वाराणसी/उन्नाव–शुक्लागंज/आगरा विकास प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भिज्ञ अधिकारी को संलग्न सूची में उल्लिखित शैक्षणिक संस्थाओं/सम्बन्धित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुए सूची में अवस्थित अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी डिग्रियों की वैधता (validity)/मान्यता के सम्बन्ध में पुष्टि कराकर सूचना एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) जनार्दन राय नगर, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, मार्ग प्रताप नगर, उदयपुर, राजस्थान, 313001

(3) कर्नाटका स्टेट ओपेन यूनिवर्सिटी, मैसूर, कर्नाटक, 570006

(4) द इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया), 8–गोखले रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 700020

(5) जामियाँ मिलिया इस्लामियाँ विश्वविद्यालय, जामिया नगर, नई दिल्ली, 110025

(6) बिरला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, झारखण्ड, 835215

(7) जबलपुर इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश, 482011

आज्ञा से,
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

अनुस्मारक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्,
नेल्सन मण्डेला मार्ग, वसंत कुंज,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 3 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2024

विषय : **मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गयी डिग्रियों की ए0आई0सी0टी0ई0–यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– I/478493/2024, दिनांक 24.01.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों में तैनात डिग्रीधारी अवर अभियन्तागण (सिविल) की सूची एवं इन अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी अभियन्त्रण स्नातक/ए0एम0आई0ई0 की डिग्रियों का विवरण/छायाप्रतियां संलग्नकर प्रेषित करते हुए संलग्न सूची में अवस्थित अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी अभियंत्रण स्नातक या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की एसोसिएट मेम्बर की डिग्री के वैध (valid) होने/न होने के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु वॉछित सूचना अब तक अप्राप्त है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनांक दिनांक 24.01.2024 के साथ संलग्न डिग्रीधारी अवर अभियन्तागण (सिविल) की सूची में अवस्थित समस्त डिग्रीधारी अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी अभियन्त्रण स्नातक/ए0एम0आई0ई0 की डिग्रियों के वैध (valid) होने/न होने के सम्बन्ध में सूचना आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकृति का है, अतएव समयबद्धता विशेषरूप से अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by डॉ०
नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 01-04-2024 19:41:00
Reason: Approved

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को शासन के पत्र संख्या– I/499526/2024, दिनांक 20.02.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के क्रम में पुनः इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के किसी अधिशासी अभियन्ता को

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर डिग्रीधारी अभियन्तागण (सिविल) की सूॅची में उल्लिखित समस्त डिग्रीधारी अभियन्तागण द्वारा प्राप्त की गयी अभियन्त्रण स्नातक / ए0एम0आई0ई0 की डिग्रियों के वैध (valid) होने / न होने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर शासन को प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

आज्ञा से,

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव।